

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष नं०:- 0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प.4(ई)(1)(6)(428/86)/अलेसे-III/239

दिनांक :- 5/03/2021

संशोधित कार्यालय आदेश

विभाग के द्वारा जारी आदेश संख्या एफ.4(ई)(1)(6)(428/86)/अलेसे-III/37 दिनांक 05.02.2021 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

1. पंक्ति संख्या 5 में हीरालाल के स्थान पर हीराराम पढ़ा जावे।
2. प्रतिलिपी के बिन्दु संख्या 04 में कोषाधिकारी, अलवर/डूंगरपुर के स्थान पर कोषाधिकारी, जोधपुर ग्रामीण पढ़ा जावें।
3. प्रतिलिपी के बिन्दु संख्या 06 उपकोषाधिकारी, आसपुर (डूंगरपुर) के स्थान पर कार्यालय तहसीलदार पीपाड़ शहर, (जोधपुर) पढ़ा जावें।

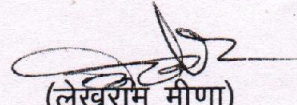
  
(शिल्पी कौशिक)  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)

क्रमांक :- प.4(ई)(1)(6)(428/86)/अलेसे-III/239

दिनांक :- 5/03/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
4. कोषाधिकारी, जोधपुर (ग्रामीण)।
5. उपनिदेशक (जांच)/उपविधि परामर्शी, कार्यालय हाजा।
6. श्री हीराराम चौधरी, कनि. लेखाकार कार्यालय तहसीलदार पीपाड़ शहर, (जोधपुर)।
7. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
9. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/निजी पत्रावली /गार्ड फाइल।

  
(लेखराम मीणा)  
उप निदेशक (कार्मिक-III)